संख्या-10/2019/146/71-2-2019-02/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमती नगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अर्न्तगत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ के अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु सामान्य (गैर वेतन) मद की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3934/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/वित्त एवं लेखा/2018, दिनांक 03-01-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 3000.00 लाख को यथाशीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्तीय वर्ष 2018-19 में संस्थान के अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु शासनादेश संख्या-80/2018/1299/71-2-2018-02/2018, दिनांक 05 अप्रैल, 2018 द्वारा अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 3000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अंतर्गत द्वितीय किश्त के रूप में कुल रू0 3000.00 लाख (रूपया तीस करोड मात्र) धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8- धनराशि को कोषागार से संस्थान वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा लेखाशीर्षक ''2210-05-105-03-0325-डा0

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/157/दस-2019, दिनांक 01 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( डा0 रजनीश दुबे )
प्रमुख सचिव।

*संख्या-10/2019/146(1)/71-2-19-तद्दिनांक*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( कुलदीप कुमार रस्तोगी )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।